

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

प्रेषक,

बी० प्रधान,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी/
निदेशक-सह-अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग/प्रभारी प्रमंडलीय राजभाषा
उपनिदेशक-सह- प्रमंडलायुक्त के सचिव, पटना प्रमंडल, पटना/तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/मगध
प्रमंडल, गया/सारण प्रमंडल, छपरा/कोशी प्रमंडल, सहरसा/दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा।

पटना, दिनांक-6.5.15

विषय:- बजट शीर्ष- "2053- जिला प्रशासन-094-अन्य स्थापनाएँ-0008-राजभाषा स्थापना - 'मांग
संख्या-04 तथा विपत्र कोड-"एन० 2053000940008" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 की
प्रथम चौमाही के लिए राशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक द्वितीय राजभाषा (उर्दू) के अधीन उर्दू निदेशालय तथा राज्य के समाहरणालय ,
अनुमंडल कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालयों के उर्दू भाषा कोषांग में पदस्थापित एवं कार्यरत उर्दू अनुवादकों,
सहायक उर्दू अनुवादकों, उच्चवर्गीय लिपिक/निम्नवर्गीय लिपिक एवं कार्यालय परिचारियों के वेतनादि के
भुगतान तथा इस विभाग के झापांक-116/रा०,दिनांक- 30.05.2008 के आलोक में उर्दू निदेशालय/जिला
स्तरीय "उर्दू भाषा प्रशिक्षण केन्द्र" के संचालन और प्रमंडलीय राजभाषा कार्यालयों की स्थापना एवं अन्य
आनुषंगिक व्यय हेतु निदेशानुसार चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 के लिए निम्न रूप में (प्रमंडलवार/जिलावार
आवंटन सूची के अनुसार) राशि आवंटित की जाती है :-

कोड	इकाईयों/उप इकाईयों	आय-व्ययक अनुमान (2014-15)	आय-व्ययक अनुमान का 33%	प्रथम चौमाही के लिए कुल आवंटन
1	2	3		4
01 01	वेतन	236000000	77880000	77880000
01 03	जी०या०भत्ता	278480000	91898400	91898000
01 04	मकान भत्ता	23200000	7656000	7658000
01 05	परिवहन भत्ता	150000	49500	49500
01 06	चिकित्सा भत्ता	2150000	709500	709500
01 07	अन्य भत्ता	20000	6600	6600
कुल वेतन		54,00,00,000	17,82,00,000	17,81,99,600
06 01	चिकित्सा प्रतिपूति	500000	165000	0
11 01	यात्रा व्यय	150000	49500	0
13 01	कार्यालय व्यय	150000	49500	48000
13 06	वर्दी/पोशाक	69000	22770	21000
28 01	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	20000	6600	6000
कुल योग		54,08,89,000	17,84,93,370	17,82,74,800

(कुल आवंटित राशि:-सत्तरह करोड़ बेरासी लाख चौहत्तर हजार छः सौ रुपये मात्र)

2/ यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०, दिनांक-17.04.98, 295/वि०,
दिनांक-24.03.2015 के आलोक में स्वीकृत है। वित्त विभाग के पत्रांक 400/वि०, दिनांक 16.05.04 के आलोक में

3/2/15

26/5

यदि वेतन मद की किसी उप इकाई में राशि का आवंटन आवश्यकता से कम हुआ हो तो उक्त मद की राशि की पूर्ति वेतन/वेतन मद की किसी दूसरी उप इकाई में आवंटित राशि से की जा सकती है। राशि की निकासी एवं व्ययन में वित्त विभाग के अद्यतन आदेशों-निदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

3/ आवंटित राशि के विरुद्ध निकासी का लेखा सत्यापन महालेखाकार कार्यालय, पटना से कराये जाने के संबंध में समय-समय पर प्राप्त वित्त विभाग के निदेशों एवं इस विभाग के पत्रांक-538/रा0, दिनांक-30.07.06 एवं 1007/रा0, दिनांक-06.12.06 के आलोक में यथासमय कार्रवाई की सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी दी जाए।

4/ राशि की निकासी एवं व्ययन में बिहार वित्त नियमावली, बिहार कोषागार संहिता, बजट मैनुअल एवं वित्तीय अनुशासन संबंधी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2564/वि0, दिनांक-17.04.98 तथा समय-समय पर निर्गत तत्संबंधी आदेशों-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

5/ आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की सारी जबाबदेही संबद्ध निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6/ बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के आलोक में त्रैमासिक व्यय की सूचना, प्रत्येक तिमाही (जून, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च) के अन्त में विभागीय फैंक्स (0612-22217698/2215258)/स्पीड पोस्ट/विशेष दूत से अधोहस्ताक्षरी को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायी जाए।

7/ संबंधित शीर्ष के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले वार्षिक व्यय का इकाईवार आकलन दिनांक 15 जुलाई, 2016 से पहले निश्चित रूप से कर लिया जाए और आवश्यकता से अधिक/कम राशि रहने की स्थिति में अंतरिम प्रत्यर्पण/अतिरिक्त आवंटन के लिये मांग-पत्र विहित प्रपत्र में ही भेजा जाए। सामान्य स्थिति में 15 जुलाई, 2016 के बाद प्राप्त मांग पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

8/ वित्तीय वर्ष 2016-17 का बजट प्राक्कलन विहित प्रपत्र में तैयार कर दिनांक 15 अगस्त, 2016 तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करा दिया जाय। विलम्ब से प्राप्त बजट प्राक्कलन पर विचार नहीं किया जा सकेगा तथा इस से उत्पन्न होने वाली स्थिति की जिम्मेवारी आपकी होगी।

9/ चालू वित्तीय वर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्त आवंटन, कुल व्यय की गई राशि, कुल अवशेष तथा कुल प्रत्यर्पित की जाने वाली राशि की सूचना विहित प्रपत्र में 31 मार्च, 2016 तक निश्चित रूप से इस विभाग को दे दी जाए ताकि समेकित प्रत्यर्पण प्रतिवेदन वित्त विभाग को यथासमय उपलब्ध कराने में कोई कठिनाई नहीं हो।

10/ उप आवंटन निर्गत करने तथा राशि की निकासी/व्ययन की कार्रवाई के क्रम में सेवानिवृत्त/बिमार/मृत्यु/निलंबित कर्मचारियों के बकाया वेतनादि/सेवान्त लाभ/जीवन निर्वाह भत्ता/कम्प्यूटर प्रशिक्षण की राशि के भुगतान तथा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन

Gandhi
30/4/15

Gandhi
(बी० प्रधान)
प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या- बजट-03/रा0-2015-16/03310/रा0, पटना, दिनांक-6.5.15

प्रतिलिपि : सभी सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Gandhi
30/4/15

Gandhi
(बी० प्रधान)
प्रधान सचिव।

ज्ञाप ज्ञाप संख्या- बजट-03/रा0-2015-16/03310/रा0, पटना, दिनांक-6.5.15

प्रतिलिपि : सभी सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक (उर्दू) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Gandhi
30/4/15

Gandhi
(बी० प्रधान)
प्रधान सचिव।

**विहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग**

बजट शीट "2063-विभाग बजट-09-अनु रूपान्तर-0000-राजभाषा विभाग" का संख्या-048784 विवरण क्र. "ए" 20630000-400000 के अन्तर्गत
अन्तर्गत विधीय वर्ष 2015-16 के उपरोक्त हेतु अर्जन :

क्र. सं.	विवरण / प्रस्ताव	1	2	3	4	5	6	7	8	9	संशोधन				15	
											10	11	12	13		
1	प्रस्ताव	01 01	01 03	01 04	01 05	01 06	01 07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	प्रस्ताव	2810000	3090000	3000000	0	24000	0	24000	0	6024000	0	0	0	0	0	0
3	प्रस्ताव	1131000	1338000	1100000	0	10000	0	30000	0	2590000	0	0	0	0	0	0
4	प्रस्ताव	2175000	2575000	2100000	0	11000	0	2791000	0	4990000	0	0	0	0	0	0
5	प्रस्ताव	1218000	1442000	1200000	0	11000	0	2791000	0	4990000	0	0	0	0	0	0
6	प्रस्ताव	2282000	2678000	2200000	0	20000	0	5180000	0	9372000	0	0	0	0	0	0
7	प्रस्ताव	4002000	4780000	4900000	0	40000	200	9282000	0	16000000	0	0	0	18000	0	0
8	प्रस्ताव	2249000	2781000	2300000	0	21000	0	5391000	0	9372000	0	0	0	0	0	0
9	प्रस्ताव	2436000	2884000	2400000	0	20000	200	5582000	0	10000000	0	0	0	0	0	0
10	प्रस्ताव	2450000	2775000	3500000	0	20000	0	5585000	0	10000000	0	0	0	0	0	0
11	प्रस्ताव	2790000	3390000	2700000	0	35000	0	6345000	0	11000000	0	0	0	0	0	0
12	प्रस्ताव	522000	618000	500000	0	50000	0	1195000	0	22000000	0	0	0	0	0	0
13	प्रस्ताव	4765000	5655000	5000000	0	500000	200	11600200	0	22000000	0	0	0	10000	0	0
14	प्रस्ताव	1218000	1442000	1200000	0	11000	0	2791000	0	4990000	0	0	0	0	0	0
15	प्रस्ताव	1827000	2163000	1800000	0	10000	0	4188000	0	7700000	0	0	0	0	0	0
16	प्रस्ताव	2610000	3090000	2600000	0	24000	200	5984200	0	10000000	0	0	0	10000	0	0
17	प्रस्ताव	698000	824000	600000	0	60000	0	1558000	0	28000000	0	0	0	0	0	0
18	प्रस्ताव	2088000	2472000	2000000	0	18000	0	4778000	0	87000000	0	0	0	0	0	0
19	प्रस्ताव	1131000	1338000	1100000	0	10000	0	2590000	0	47000000	0	0	0	0	0	0
20	प्रस्ताव	1044000	1238000	1000000	0	90000	0	2385000	0	42000000	0	0	0	0	0	0
21	प्रस्ताव	2410000	2890000	2500000	0	24000	200	5984200	0	10000000	0	0	0	0	0	0
22	प्रस्ताव	698000	824000	600000	0	60000	0	1558000	0	28000000	0	0	0	0	0	0
23	प्रस्ताव	870000	1030000	800000	0	80000	0	1980000	0	35000000	0	0	0	0	0	0
24	प्रस्ताव	1000000	1137000	1200000	0	90000	0	2285000	0	40000000	0	0	0	0	0	0

2015-16

2015

Signature
20/1/2015

क्र. सं.	विवरण	वर्ष														कुल	विवरण		
		01.01	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	08.01	11.01	13.01	13.06	20.01	15						
1																			
25	संयुक्त	699000	824000	60000	0	6000	0	1598000	0	0	0	0	0	0	0	1598000	संयुक्त संघ के अंतर्गत है।		
26	संयुक्त	1479000	1751000	140000	0	13000	0	3383200	0	0	0	1000	0	0	0	3384200	संयुक्त संघ के अंतर्गत है।		
27	संयुक्त	1392000	1649000	130000	0	12000	0	3182000	0	0	0	0	0	0	0	3182000	संयुक्त संघ के अंतर्गत है।		
28	संयुक्त	870000	1020000	80000	0	8000	0	1988000	0	0	0	0	0	0	0	1988000	संयुक्त संघ के अंतर्गत है।		
29	संयुक्त	2610000	3090000	290000	0	24000	0	6984200	0	0	0	1000	0	0	0	6985200	संयुक्त संघ के अंतर्गत है।		
30	संयुक्त	2262000	2678000	220000	0	20000	0	6180000	0	0	0	0	0	0	0	6180000	संयुक्त संघ के अंतर्गत है।		
31	संयुक्त	1740000	2060000	170000	0	16000	0	3988000	0	0	0	0	0	0	0	3988000	संयुक्त संघ के अंतर्गत है।		
32	संयुक्त	1586000	1864000	150000	0	14000	0	3584000	0	0	0	0	0	0	0	3584000	संयुक्त संघ के अंतर्गत है।		
33	संयुक्त	2784000	3286000	270000	0	25000	0	6376200	0	0	0	1000	0	0	0	6377200	संयुक्त संघ के अंतर्गत है।		
34	संयुक्त	4002000	4738000	50000	0	36000	0	8262200	0	0	0	1000	0	0	0	8263200	संयुक्त संघ के अंतर्गत है।		
35	संयुक्त	3828000	4532000	380000	0	35000	0	8775200	0	0	0	1000	0	0	0	8776200	संयुक्त संघ के अंतर्गत है।		
36	संयुक्त	2001000	2289000	200000	0	18000	0	4889000	0	0	0	0	0	0	0	4889000	संयुक्त संघ के अंतर्गत है।		
37	संयुक्त	1740000	2060000	174000	0	16000	0	3988000	0	0	0	0	0	0	0	3988000	संयुक्त संघ के अंतर्गत है।		
38	संयुक्त	609000	721000	50000	0	5000	0	1384000	0	0	0	0	0	0	0	1384000	संयुक्त संघ के अंतर्गत है।		
39	संयुक्त	909000	926000	100000	0	17500	0	1906000	0	0	42000	3000	0	0	0	1909000	संयुक्त संघ के अंतर्गत है।		
40	संयुक्त	261000	309000	25000	0	2000	0	608000	0	0	1000	1500	0	0	0	6121000	संयुक्त संघ के अंतर्गत है।		
41	संयुक्त	261000	309000	22000	0	2000	0	594600	0	0	1000	1500	0	0	0	5971000	संयुक्त संघ के अंतर्गत है।		
42	संयुक्त	174000	206000	15000	0	1000	0	3983000	0	0	1000	1500	0	0	0	3985000	संयुक्त संघ के अंतर्गत है।		
43	संयुक्त	174000	206000	15000	0	1000	0	3983000	0	0	1000	1500	0	0	0	3985000	संयुक्त संघ के अंतर्गत है।		
44	संयुक्त	174000	206000	15000	0	1000	0	3983000	0	0	1000	1500	0	0	0	3985000	संयुक्त संघ के अंतर्गत है।		
46	संयुक्त	261000	309000	20000	0	2000	0	602400	0	0	1000	1500	0	0	0	6051000	संयुक्त संघ के अंतर्गत है।		
	कुल	77890000	91890000	7656000	0	49800	0	178199600	0	0	49800	21800	0	0	0	178274400	संयुक्त संघ के अंतर्गत है।		

(H.O. DAST) [Signature]
संयुक्त संघ